उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-67/2017/2283/37-1-2017-9(26)/2017

लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख सतम्भ-4 में अंकित पशु चिकित्सालय से सम्बद्व किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती	सम्बद्वता का स्थान
1	2	3	4
1	डा0 विजय कुमार पाण्डेय, पशु चिकित्साधिकारी	खुशालनगर, महाराजगंज	सादुल्लानगर, बलरामपुर
2	डा0 पुष्पा सिंह, पशुचिकित्साधिकारी	गनपा, कौशाम्बी	भेड, नैनी (प्रायोजना)
3	डा0 मुकेश कुमार, पशुचिकित्साधिकारी	खेडी भनौता, गौतमबुद्वनगर	एनिमल सेल्टर, नोएडा
4	डा0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह, पशुचिकित्साधिकारी	फैजपुर निनाना, बागपत	गोहाना, जालौन
5	डा0 सुमित वैशाल, पशुचिकित्साधिकारी	पीपलवाडा, बुलन्दशहर	बेसवॉ, अलीगढ
6	डा0 संदीप कुमार, पशुचिकित्साधिकारी	बडेसरा, गाजीपुर	रामगंज, अमेठी
7	डा0 संतोष राजपाल, पशुचिकित्साधिकारी	भेड, झॉसी	गो सेवा आयोग
8	डा0 इति मिश्रा, पशु चिकित्साधिकारी	पृथ्वी, शाहजहॉपुर	पशुपालन निदेशालय में संयुक्त निदेशक (गौशाला) के साथ
9	डा0 रंजना सचान, पशुचिकित्साधिकारी	जलालपुर, हमीरपुर	पॉली क्लीनिक, लखनऊ

2- सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

[redacted]

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-67/2017/2283(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

3- संबंधित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

4- संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।

5- संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://Shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।